सं. 01//162/2016-सतर्कता /1226

सतर्कता विभाग

राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान (मुख्यालय)

नई दिल्ली - 110 016

दिनांक: 14 सितम्बर, 2018

विषय:- करार पत्र में निर्णीत हर्जाने का प्रावधान - सर्वांगी सुधार।

निवारक सतर्कता जॉच के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि ठेकेदार के स्तर पर चूक/देरी के बावजुद, ठेकेदार से कोई हर्जाना नहीं वसुला जा सका, क्योंकि करारनामें में निर्णीत हर्जाने का अनिवार्य प्रावधान निफ्ट के कुछ केंद्रों द्वारा नहीं किया गया था।

इस संबंध में आपका ध्यान सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम, 2017 के नियम 225 के उपखंड (xvi) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें यह कहा गया है कि सभी करारनामे में ठेकेदार के स्तर पर हुई कमी/चूक के लिए निर्णीत हर्जाने की वसुली का प्रावधान होगा। केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में प्रोक्योरिंग कंपनी द्वारा लिखित रूप में तर्कसंगतता प्रस्तुत करने के बाद हीं इस तरह के प्रावधान में छूट दी जा सकती है। अत: इस तरह के उपवाक्य अनिवार्यरूप में करारनामे में शामिल किए जायें।

अत: यह सुझाव दिया जाता है कि सभी आवश्यक संविदात्मक शर्तें जैसे, निष्पादन गारंटी, अन्तरस्थ कर्मचारियों/माल व्यवस्था (inward logistics), अग्रिम, निर्णीत हर्जाना, निर्णीत हर्जाने या बिना निर्णीत हर्जाने के विस्तार, कीमत परिवर्तन खंड, कर एवं शुल्क, अप्रत्याशित घटना तथा निष्पादन गारंटी के समापन तथा जब्ती आदि जैसा कि सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम, 2017 के नियम 225 में उल्लेखित हैं, उन्हें करारनामे में आवश्यकरूप से शामिल करें तथा करारनामें को निष्पादित करने से पूर्व उसे विधि विभाग द्वारा जॉच करवा लें।

इसे मुख्य सतर्कता अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

14/9

(राजू सिन्हा)
सतर्कता अधिकारी

प्रति:

1. निफ्ट के सभी केन्द्र निदेशक
2. निफ्ट के सभी केन्द्र के संयुक्त निदेशक
3. निफ्ट मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष,
4. निदेशक (वित्त एवं लेखा) - सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम, 2017 के नियम 225 में उल्लेखित उपबंधों को ध्यान में रखतें हुए मानक करारनामा तैयार करवाने तथा उसे प्रचालित करवाने के अनुरोध के साथ
5. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) - इसे निफ्ट बेवसाईट पर उपलब्ध करवाने के अनुरोध के साथ।

01/162/2016-Vig. /1226
National Institute of Fashion Technology
Vigilance Department, Head Office
New Delhi-110016

14th September, 2018

Subject: Provision regarding liquidity damages in Contract-System Improvement

During PVI's it has been observed that loss arising out of default on the part of contractor could not be recovered, due to absence of such a clause in the contract document of some of the NIFT Campuses.

2. Attention is also invited towards Sub-Rule (xvi) of Rule 225 of GFR 2017 wherein it is mentioned that "All contracts shall contain a provision for recovery of liquidated damages for defaults on the part of the contractor. Only in exceptional circumstances to be justified by procuring entity in writing, an exemption from such provisions can be made". Hence, inclusion of such a clause in the contract is mandatory.

3. It is therefore, advised that all important contractual clauses like, Performance Guarantee, Inward Logistics, Advances, LD clause, Extension with/Without LD, PVC, Taxes & Duties, Force Majeur and Termination & Forfeiture of Performance Guarantee etc as mentioned under Rule 225 of GFR 2017 must be included in the contract document and the contract document may be got vetted by the Legal Department before entering into contracts.

This issues with the approval of CVO-NIFT.

14/9

(Raju Sinha)
Vigilance Officer

To,

The Directors, all NIFT Campuses
The Joint Directors, all NIFT Campuses
All HoDs, NIFT H.O
Director (F&A), NIFT-H.O- To design and circulate standard forms of contracts including all the Sub-Rule mentioned under Rule 225 of GFR 2017.
Director (IT)- For uploading the same under Vigilance Corner with subject as "hyperlink" in NIFT website.